कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़
सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-375/2023 दिनांक- 24.11.2023

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- निजामाबाद

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

दिनांक 21.11.2023 को वादिनी/ पीडिता ने थाना निजामबाद पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी प्रमोद सोनकर पुत्र फागू सोनकर निवासी कोयलसा (भरौली) थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी/पीड़िता के साथ जबरदस्ती घर में घुसकर उसके साथ अश्लील हरकते करते हुये दुष्कर्म किया गया जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 509/23 धारा- 376/323/504/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त मे धारा 323/504 भादवि की घटोत्तरी व धारा 452 भादवि की वृद्धि की गई है।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक- 24.11.2023 को उ0नि0 सुधीर पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रमोद सोनकर पुत्र फागू सोनकर निवासी कोयलसा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को फरिहा चौराहे के पास स्थित गुमटी के पास से सुबह समय करीब 08.50 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 509/23 धारा- 376/452/506 भादवि थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- प्रमोद सोनकर पुत्र फागू सोनकर निवासी कोयलसा (भरौली) थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 सुधीर पाण्डेय थाना निजामाबाद, आजमगढ़

2. का0 कृष्णचन्द्र थाना निजामाबाद, आजमगढ़

थाना- बरदह

किशोरी के अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 07.11.23 को वादिनी मुकदमा ने थाना बरदह पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक- 03.11.2023 को विपक्षी अरबिन्द बिन्द पुत्र सतई बिन्द सा0 रसुलपुर तुंगी थाना बरदह जनपद आजमगढ द्वारा वादिनी मुकदमा की नाबालिक पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 07.11.23 को मु0अ0सं0 460/23 धारा 363/366 भादवि बनाम अरबिन्द बिन्द पुत्र सतई बिन्द सा0 रसुलपुर तुंगी थाना बरदह जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया।

उ0नि0 जुबेर अहमद मय हमराह द्वारा दिनांक 22.11.23 को अपहृता को जिवली तिराहे से बरामद कर लिया गया है। पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन व शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अवलोकन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 24.11.23 को उ0नि0 जुबेर अहमद मय हमराह को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अरबिन्द बिन्द पुत्र सतई बिन्द सा0 रसुलपुर तुंगी थाना बरदह जनपद आजमगढ को दुबरा रसूलपुरतुंगी नहर पुलिया से समय करीब सुबह 06.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 460/23 धारा 363/366/376 भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- अरबिन्द बिन्द पुत्र सतई बिन्द सा0 रसुलपुर तुंगी थाना बरदह जनपद आजमगढ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 288/23 धारा 363/366 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 460/23 धारा 363/366/376 भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 जुबेर अहमद थाना बरदह, आजमगढ़
2. का0 नीरज कुमार थाना बरदह, आजमगढ़

थाना- सरायमीर

हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना

➡ दिनांक- 10.03.2002 को वादी मुकदमा गुलाम पुत्र तिलकधारी निवासी खुदकास्ता थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया था दिनांक- 07.03.2002 को समय 19.00 बजे अज्ञात बदमाशों द्वारा वादी मुकदमा के भाई गौतम पुत्र तिलकधारी उम्र 16 वर्ष की हत्या कर थाना सरायमीर कस्बा के दक्षिण में स्थित एक कुंए में शव को फेंक दिया गया था,

➡जिसमें अज्ञात के विरूद्ध थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 29/2002 धारा 302/201 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था।

➡ दिनांक- 19.03.2002 को मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से 02 अभियुक्त 1. इदरीश पुत्र असगर, 2. मुस्तकीम पुत्र इदरीश निवासी मो0 ठठेरी बाजार कस्बा सरायमीर थाना सरायमीर आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

➡मुकदमा उपरोक्त में उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया।

➡अभियुक्त इदरीश पुत्र असगर उपरोक्त की मृत्यु हो चुकी है।

➡मुकदमा उपरोक्त में कुल 07 गवाह परीक्षित हुए है।

➡आज दिनांक- 24.11.2023 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मुस्तकीम पुत्र इदरीश निवासी मो0 ठठेरी बाजार कस्बा सरायमीर थाना सरायमीर आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं 20 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।